डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक
अध्यक्ष
छ.ग. राज्य महिला आयोग

अर्धशासकीय पत्र क्रमांक ......37......
दिनांक ......11/11/2020......
छ.ग. राज्य महिला आयोग
गायत्री भवन, 13-जल विहार कालोनी, रायपुर (छ.ग)
सम्पर्क : 0771-2433488 फैक्स : 0771-2429977
टोल फ्री : 1800-233-4299
Email : cgmahilaayog@gmail.com, chairperson.cgswc@gmail.com
Website : www.cgmahilaayog.com

प्रति,

श्रीमान पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ शासन

विषयः– अनावेदक श्री सुशील कुमार शर्मा (संपादक) समाचार पत्र बस्तर बंधु कांकेर बस्तर छ.ग. के विरूद्व तत्काल FIR दर्ज किए जाने बावत् ।

संदर्भः– श्रीमती अनुराधा दुबे विरूद्व सुशील कुमार शर्मा प्रकरण क्रमांक 2191 / 2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में अनावेदक जो कि ''बस्तर बंधु'' नाम से सप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करता है, उसके द्वारा आवेदिका के विरूद्व लगातार ''अमर्यादित, अशोभनीय, आपत्तिजनक और अपमानित करने वाले लज्जा जनक'' विषयों के साथ लगातार पांच श्रृखलाबंद्व अंक प्रकाशित किए गए। जिसमें पुरे के पुरे अखबार में, कभी 2 पेज, कभी 4 पेज, आवेदिका के विरूद्व घटिया व निम्न स्तरीय प्रकाशन किया गया था।

आवेदिका की शिकायत के पश्चात् अनावेदक को सुनवाई के लिए कल दिनांक 10.11.2020 को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में बुलाया गया था, चुंकि अनावेदक पत्रकार है, और लगातार घटिया निम्नस्तरीय प्रकाशन करने का आदि है, इस दृष्टिकोण से उनके पुरे प्रकरण कि सुनवाई विडियो रिकार्डिंग, दो अलग–अलग एंगल से कराई गयी और उसकी संम्पूर्ण रिकार्डिंग छ.ग. राज्य महिला आयोग के पास सुरक्षित रखी गयी है।

इस पुरी सुनवाई के दौरांन थाना तेलीबांधा सब इंस्पेक्टर श्री उमा शंकर राठौर, पुरी सुनवाई में उपस्थित रहे थे।

अनावेदक ने उसके द्वारा प्रकाशित किए गए 5 अखबारो की खबर को स्वयं के द्वारा लिखना, प्रकाशन, मुद्रण स्वयं के द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में अनावेदक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो गया था। इस संपूर्ण कार्यवाही विवरण की आर्डर शीट दिनांक 10.11.2020 कि फोटो प्रति इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें अनावेदक ने उपस्थित बावत् अपने हस्ताक्षर भी किए है।

कृपया उसका भी अवलोकन कर लेंवे। क्योंकि यह अनावेदक अपने अखबार का दूरूपयोग केवल ''अर्नगल अमर्यादित, अशोभनीय, आपत्तिजनक और

Kiran Nayak Nayak
11.11.2020

अपमानित करने वाले लज्जा जनक'' वाले अखबार का प्रकाशन मात्र नहीं करता था, वरन् इन अखबारो कि प्रतियो को आवेदिका के घर, कार्यालय व अन्य स्थानों पर बांटा व बँटवाया भी करता था, ताकि आवेदिका मानसिक रूप से लगातार पीड़ित व परेशान रहें।

पूरे मामले की सुनवाई की विस्तृत शिकायत के माध्यम से अनावेदक के अखबार बस्तर बंधु पंजीयन क्रमांक 63130/95 को निरस्त करने का निर्णय भी लिया गया है, तद् अनुसार पंजीयन निरस्त करने के लिए रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया को अलग से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। इस प्रकरण में अनावेदक को तेलीबांधा पुलिस के सुपूर्द किया व निर्देशित भी किया कि इस अनावेदक द्वारा प्रकाशित किए गए 5 अखबारो में से 1 अखबार के समाचार में दर्ज **FIR** को छोड़कर शेष 4 साप्ताहिक अखबारो में प्रकाशित ''अमर्यादित, अशोभनीय, आपत्तिजनक और अपमानित करने वाले लज्जा जनक'' टिप्पणी के खिलाफ 4 **FIR** दर्ज किए जाने का निर्देश दिया गया है। भा.द.वि. धारा 354, 500, 501, 502, 503, 506,504, 509**B** इन अपराधों के तहत् **FIR** दर्ज कर उनकी जानकारी 17 नंवबर तक आयोग को प्रेषित करें।

अतः आप से अनुरोध है कि महिलाओं के विरूद्ध ऐसे ''अमर्यादित, अशोभनीय, आपत्तिजनक और अपमानित करने वाले लज्जा जनक'' प्रकाशन करने वाले पत्रकार सुशील कुमार शर्मा (संपादक) के विरूद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 17.11.2020 तक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को प्रेषित करवाने हेतु निर्देश जारी करें।

भवदीया

Kiran Mayee Nayak
11.11.2020

(डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक)
अध्यक्ष
छ.ग.राज्य महिला आयोग

प्रतिलिपिः—

1. पुलिस महानिरीक्षक, रेंज रायपुर 35 शंकर नगर, मेन रोड़ शंकर नगर रायपुर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला—रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

भवदीया

Kiran Mayee Nayak
11.11.2020

(डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक)
अध्यक्ष
छ.ग.राज्य महिला आयोग